रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 10 अगस्त, 1985/19 श्रावण, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 जुलाई, 1985

संख्या गृह (ए०)एफ०(13)-1/82.—हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या गृह (ए०)एफ०(13)-1/82, दिनांक 19-1-1985 जो कि राजपत्र, हिमाचल प्रदेश सरकार/असाधारण/दिनांक 29-1-85 के अंक में प्रकाशित हुई थी के सन्दर्भ में तथा मैनावर फील्ड फायरिंग एवं आरटिलरी प्रैक्टिस अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवां अधिनियम) की धारा 9 की उप-धारा 9(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जिला लाहौल-स्पीति में हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11-69/68-गृह दिनांक

1658-राजपत्र/85-10-8-85—1,203.

1-7-1981 द्वारा परिभाषित क्षेत्र में फील्ड फायरिंग एवं आरटिलरी प्रैक्टिस को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय में सहर्ष प्राधिकृत करते हैं :—

जुलाई, 85	अगस्त, 85	सितम्बर, 85
15 से 21 तक	05 से 11 तक 23 से 29 तक	07 से 13 तक 20 से 26 तक
अक्तूबर, 85	नवम्बर, 85	दिसम्बर, 85
04 से 10 तक 21 से 27 तक	06 से 12 तक	08 से 14 तक
जनवरी, 86	फरवरी, 86	मार्च, 86
06 से 12 तक	08 से 14 तक	05 से 11 तक 23 से 29 तक
अप्रैल, 86	मई, 86	जून, 86
05 से 11 तक 24 से 30 तक	05 से 11 तक 21 से 27 तक	02 से 08 तक

ए0 के0 महोपात्रा,
आयुक्त एवं सचिव।

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-171002, *the* 27*th July*, 1985

No. 2-14/85-Shram.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh, that there is an industrial dispute between Shri Tarun Kumar Bhandari, ex-Salesman and the management of H. P. State Civil Supplies Corporation Ltd;

And whereas after considering the report of the Conciliation Officer-*cum*-Regional Employment Officer, Manli under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Govenor, H. P. is satisfied that this matter may be referred to the H. P. Labour Court, Shimla for adjudication;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under Section 12(5) read with Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) hereby refer this matter to the Himachal Pradesh Labour Court, Shimla constituted under Section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947, for adjudication as under:—

> "Whether the termination of services of Shri Tarun Kumar Bhandari, Salesman by the management of the H. P. State Civil Supplies Corporation Ltd. is justified and in order. If not, what relief and amount of compensation Shri Tarun Kumar Bhandari, is entitled to."

शिमला-171002, 30 जुलाई, 1985

संख्या 8-12/81-श्रम.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह अपेक्षित है कि सीमेन्ट फैक्टरी, राजबन, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की सेवाओं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु जनुपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए ।

और यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह अपेक्षित है कि उक्त सेवाओं को जन उपयोगी सेवा छः महीने तक घोषित करना अनिवार्य है ।

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 की अधिनियम संख्या 14) की धारा 2 के खण्ड (एन0) के उप-खण्ड (vi) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एतद्-द्वारा सीमेंट फैक्टरी राजबन की उक्त सेवाओं को जन उपयोगी सेवा उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु छः मास तक की अवधि के लिए सहर्ष तुरन्त घोषित करते हैं ।

आदेशानुसार,
ओ0 पी0 यादव,
आयुक्त एवं सचिव ।

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

अधिसूचना

धर्मशाला, 2 अगस्त, 1985

संख्या पी0 सी0 एच0-के0जी0आर0-5/36-3402-8.—क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पी0 सी0 एच0 एच0-ए0 (4) 16/76-II दिनांक 24 जुलाई, 1985, के अन्तर्गत इस जिला के विकास खण्ड नूरपुर की ग्राम सभा पंजाहड़ा तथा आधार के पुनर्गठन/विभाजन का आंशिक रूप से संशोधन किया गया है ।

अतः मैं, एच0 एल0 नाशाद, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-के0जी0आर0-5/36-3764, दिनांक 23 जुलाई, 1985, को आंशिक रूप से संशोधन करके उक्त ग्राम सभाओं के सदस्यों की क्रम संख्या 3 तथा 4 पर अंकित संख्या को निम्न प्रपत्र की कोष्ठ संख्या 6 के अनुसार पुनःनिर्धारित करता हूं:

क्रम संख्या	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम सभा का नाम	जनसंख्या	सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	नूरपुर	नूरपुर	पंजाहड़ा	1973	7
			आधार	1679	7

एच0 एल0 नाशाद,
अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा,
स्थित धर्मशाला ।

1-7-1981 द्वारा परिभाषित क्षेत्र में फील्ड फायरिंग एवं आरटिलरी प्रैक्टिस को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय में सहर्ष प्राधिकृत करते हैं :—

जुलाई, 85	अगस्त, 85	सितम्बर, 85
15 से 21 तक	05 से 11 तक 23 से 29 तक	07 से 13 तक 20 से 26 तक
अक्तूबर, 85	नवम्बर, 85	दिसम्बर, 85
04 से 10 तक 21 से 27 तक	06 से 12 तक	08 से 14 तक
जनवरी, 86	फरवरी, 86	मार्च, 86
06 से 12 तक	08 से 14 तक	05 से 11 तक 23 से 29 तक
अप्रैल, 86	मई, 86	जून, 86
05 से 11 तक 24 से 30 तक	05 से 11 तक 21 से 27 तक	02 से 08 तक

ए० के० महोपात्रा,
आयुक्त एवं सचिव।

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-171002, *the 27th July*, 1985

No. 2-14/85-Shram.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh, that there is an industrial dispute between Shri Tarun Kumar Bhandari, ex-Salesman and the management of H. P. State Civil Supplies Corporation Ltd;

And whereas after considering the report of the Conciliation Officer-*cum*-Regional Employment Officer, Mandi under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Govenor, H. P. is satisfied that this matter may be referred to the H. P. Labour Court, Shimla for adjudication;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under Section 12(5) read with Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) hereby refer this matter to the Himachal Pradesh Labour Court, Shimla constituted under Section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947, for adjudication as under:—

> "Whether the termination of services of Shri Tarun Kumar Bhandari, Salesman by the management of the H. P. State Civil Supplies Corporation Ltd. is justified and in order. If not, what relief and amount of compensation Shri Tarun Kumar Bhandari, is entitled to."

शिमला-171002, 30 जुलाई, 1985

संख्या 8-12/81-श्रम.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह अपेक्षित है कि सीमेन्ट फैक्टरी, राजबन, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की सेवाओं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु जनुपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए ।

और यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह अपेक्षित है कि उक्त सेवाओं को जन उपयोगी सेवा छः महीने तक घोषित करना अनिवार्य है ।

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 की अधिनियम संख्या 14) की धारा 2 के खण्ड (एन0) के उप-खण्ड (vi) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एतद्-द्वारा सीमेंट फैक्टरी राजबन की उक्त सेवाओं को जन उपयोगी सेवा उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु छः मास तक की अवधि के लिए सहर्ष तुरन्त घोषित करते हैं ।

आदेशानुसार,
ओ0 पी0 यादव,
आयुक्त एवं सचिव ।

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

अधिसूचना

धर्मशाला, 2 अगस्त, 1985

संख्या पी0 सी0 एच0-के0जी0आर0-5/36-3402-8.—क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पी0 सी0 एच0 एच0-ए0 (4) 16/76-II दिनांक 24 जुलाई, 1985, के अन्तर्गत इस जिला के विकास खण्ड नूरपुर की ग्राम सभा पंजाहड़ा तथा आधार के पुनर्गठन/विभाजन का आंशिक रूप से संशोधन किया गया है ।

अतः मैं, एच0 एल0 नाशाद, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-के0जी0आर0-5/36-3764, दिनांक 23 जुलाई, 1985, को आंशिक रूप से संशोधन करके उक्त ग्राम सभाओं के सदस्यों की क्रम संख्या 3 तथा 4 पर अंकित संख्या को निम्न प्रपत्र की कोष्ठ संख्या 6 के अनुसार पुनःनिर्धारित करता हूं:

क्रम संख्या	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम सभा का नाम	जनसंख्या	सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	नूरपुर	नूरपुर	पंजाहड़ा	1973	7
			आधार	1679	7

एच0 एल0 नाशाद,
अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा,
स्थित धर्मशाला ।

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 जुलाई, 1984

संख्या-स्था0 स्वा0-क-(4) 19/81.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रस्ताव करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला की श्री नैना देवी जी नगरपालिका समिति की नगरपालिका इकाई में उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाए जो अनुसूची में नीचे विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

उक्त क्षेत्र का या नगरपालिका का कोई निवासी, जो इस प्रस्ताव पर आक्षेप करना चाहते हैं, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से छः सप्ताह के भीतर, जिलाधीश, बिलासपुर के माध्यम से सचिव (स्वशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने आक्षेप लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार नियत अवधि की समाप्ति से पूर्व यदि कोई आक्षेप प्राप्त होता है तो राज्य सरकार इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने से पूर्व उस पर विचार करेगी।

गांव का नाम	खसरा नं0	कुल क्षेत्रफल
मण्डिसाली 387.	437/393, 440/393, 445/393, 447/84, 452/92, 450/96, 452/100, 454/395, 447/102, 460/103, 466/401, 438/393, 441/393, 443/92, 449/94, 95, 956/395, 458/102, 46/103, 467/401.	52.2
2. बडोह (मिन) / 388	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 196/8, 197/8, 198/8.	55.14
3. बढ़ारन (मिन) / 385	107/102/17, 107/102/77/1.	391.12

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित,
सचिव।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 29 जुलाई, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(4)-1/77-II.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 154 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, पंचायत समिति धर्मपुर, जिला मण्डी के अधिक्रमण (Supersede) करने का सहर्ष आदेश देते हैं क्योंकि यह पंचायत समिति गणपूर्ति (Quorum) के अभाव के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के अधीन सौंपे गए अपने कर्त्तव्यों को निभाने में सक्षम नहीं है ।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ऊपर कथित अधिनियम की धारा 155(i)(बी0) में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त पंचायत समिति के पुनः स्थापना तथा कार्य आरम्भ करने के समय तक उप-सम्भागीय अधिकारी (नागरिक) सरकाघाट को पंचायत समिति धर्मपुर को पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने तथा उन्हें निभाने हेतु नियुक्त करने का भी सहर्ष आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित,
सचिव ।

शिमला-2, 30 जुलाई, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)344/76.—यतः पंचायत समिति हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने मुहाल हमीरपुर में स्थित अपनी स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बरान 827, 828, 829, 831 तथा 1185 तादादी रकबा 320.76 वर्ग मीटर को जिला पंचायत भवन, जिला परिषद् हमीरपुर के निर्माणार्थ पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश स्थानान्तरित करने की स्वीकृति मांगी है ।

और यह भी कि उक्त भूमि का जिला पंचायत भवन के निर्माणाधीन स्थानान्तरण किया जाना जनहित में है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायत समिति नियमावली, 1971 के नियम 6 के अन्तर्गत मुहाल हमीरपुर में स्थित खसरा नम्बरान 827, 828, 829, 831 तथा 1185 तादाती रकबा 320.76 वर्गमीटर भूमि को पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश के नामें स्थानान्तरित करने के सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । उक्त भूमि का प्रयोग यदि वांछित प्रयोजन हेतु नहीं किया गया हो तो इसका स्वामित्व पंचायत समिति हमीरपुर को वापिस किया जायेगा ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 31 जुलाई, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(4)16/76-12.—अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(4)-16/76-9, दिनांक 21-3-85 जो जिला कांगड़ा की नई मुहालबन्दी के बारे में है विकास खण्ड रैत की ग्राम सभा हरनेरा के आगे कोष्ठ संख्या 5 के नीचे शुद्धि के अंकित विवरण को निम्नलिखित रूप में बदल दिया जावे:—

क्रम संख्या 3, 5, 8 तथा 12 के गांव "वासी" चकवन "बाग" तथा चकवन को हटा दिया जाये और क्रम संख्या 2 पर मोहाड़ 1 क्रम संख्या 3 पर मोहाड़ 2 क्रम संख्या 6 के गांव झिकला हरनेरा को चकवन बड़ज तथा क्रम संख्या 7 के गांव "हरनेरा खास" को हरनेरा पढ़ा जाये तथा ग्रामों की संख्या का क्रम 1 से 10 किया जावे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।